Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

195-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019 (KARTIKA 29, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 नवम्बर, 2019

दुध उपकर पर देय राशि के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम

संख्या 4719–सी.एफ.एम.एस–प0पा0–4–2019/9114.— यह सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि चुनाव की अवधि और आचार संहिता के कारण, वन टाईम सेटलमेंट स्कीम का व्यापक प्रचार नहीं किया जा सका। अतः राज्य सरकार ने "वन टाईम सेटलमेंट स्कीम" की 50% राशि जमा करने की अवधि बढाने का निर्णय लिया है "ONE TIME SETTLEMENT SCHEME" स्कीम क्रमांक 4719 (सी.एफ.एम.एस.)–प0पा0–4–2019/9114 दिनांक 10.09.2019 में प्रवेश की अवधि 11 नवम्बर, 2019 तक थी जिसको 50% राशि जमा करने हेतु 2 माह यानी 13 जनवरी, 2020 (11 व 12 जनवरी की छुटियों) तक बढ़ाया जाता है।

इस विस्तारित अवधि के भीतर 13 जनवरी 2020 तक ONE TIME SETTLEMENT राशि का 50 प्रतिशत जमा किया जा सकता है और शेष राशि जमा करने की छः महीने की अवधि इसके बाद शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 तक चलेगी। विधान सभा चुनावों के कारण उत्पन विशेष परिस्थितियो के कारण वन टाईम सैटलमेंट स्कीम की यह प्रथम व अंतिम एक्सटेंशन है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि चूंकि OTS समिति का सदस्य न0 3 के व्यक्ति एच.एल.डी.बी, से चले गये है, इसलिए ओटीएस के लिए समिति का कोरम चार हो जाएगा। वन टाईम सेटलमेंट स्कीम के बाकी की नियम व शर्ते क्रमांक 4719(CFMS)–प0पा0–4–2019/9114 दिनांक 10.09.2019 के समान ही रहेंगी।

डॉ० सुनील के. गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग।